

# डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाडी जिला धौलपुर (राज0)  
व इजलास श्री जी0एल0 मीना (R.A.S.)

1. रजनी देवी आयु 38 वर्ष पत्नी मुन्नालाल जाति बैश्य निवासी ग्राम गांवडी हाल आबाद अग्रसेन कालोनी कस्वा बाडी तह0 बाडी

## बनाम

1. मेवाराम
  2. रामजीलाल
  3. नेकराम
  4. रामचरन
- } पुत्रगण नथुआ जाति गूजर निवासीगण  
ग्राम गांवडी तह0 बाडी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी
  6. शाखा प्रबन्धक एस0बी0बी0जे शाखा बाडी
  7. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई0 शाखा तसीमो
  8. शाखा प्रबन्धक पी0एन0बी0 शाखा धूलकोट धौलपुर

दावा दावत

मुकदमा नं. 109/2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वयं  
व हाजरी श्री जे0पी0 मित्तल एड0 मिनजानिव मुददई श्री  
मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है

दावा वादीया तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादीया व प्रति0 के नाम तदनुरूप रिकार्ड पटवार ग्राम धौसपुर में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1. रजनी देवी पत्नी मुन्नालाल जाति बैश्य निवासी गांवडी हाल आबाद बाडी  
खसरा नं0 रकवा किरम लगान  
86/1 1-11 बा0सो0 1.55


2. मेवाराम, रामजीलाल, नेकराम, रामचरन पुत्रगण नथुआ जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी  
खसरा नं0 रकवा किरम लगान  
14 1-19 बा0दो0 2.93  
28 0-17 बा0प्र0 1.70  
74 0-17 बा0सो0 0.85  
83 1-09 बा0सो0 1.45  
86/2 1-00 बा0सो0 1.00  
कुल किता 5 कुल रकवा 6-02 7.93

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा।



मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टिकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे।  
खातेदारान पर यदि रहन हो तो उसके हिस्से में यथावत रखा जावे।

नोज ..... मुबलिंग..... बाबत ..... खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शहर .....  
जीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक ..... को अदा करें।  
वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 06 साल 2016 को  
जारी की गई।



दस्तखत .....  
ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी


मुहर

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प मरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील ) रू0		
महनताना वकील ) रू0			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बालत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीजान			मीजान		

नोट इस फार्म पर कुल खर्चा हर रो फरीकेन का वाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या/नही खर्च  
करना चाहिये।

मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टिकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे।  
खातेदारान पर यदि रहन हो तो उसके हिस्से में यथावत रखा जावे।

नाम ..... मुबलिग..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .....  
को अदा करें।  
जिसकी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .....  
वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 06 साल 2016 को  
जारी की गई।



दस्तखत .....  
ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी

मुहर

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प मरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील ) रू0		
महनताना वकील ) रू0			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बालत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोट इस फार्म पर कुल खर्चा हर रो फरीकेन का वाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या/नही खर्च करना चाहिये।

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला - धौलपुर

अधीन अधिकारी - श्री जी०एल० मीना (आर०ए०एस०)

उनवान

रजनी देवी

बनाम

मेवाराम

रजनी देवी आयु 38 वर्ष पत्नी मुन्नालाल जाति बैश्य निवासी ग्राम गांवडी हाल आबाद अग्रसेन कालोनी कस्वा बाडी तह० बाडी

वादीया :-

बनाम

- |             |   |  |
|-------------|---|--|
| 1. मेवाराम  | } | पुत्रगण नथुआ जाति गूजर निवासीगण<br>ग्राम गांवडी तह० बाडी |
| 2. रामजीलाल |   |  |
| 3. नेकराम   |   |  |
| 4. रामचरन   |   |  |

प्रतिवादीगण :-

- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी
- शाखा प्रबन्धक एस०बी०बी०जे शाखा बाडी
- शाखा प्रबन्धक एस०बी०आई० शाखा तसीमो
- शाखा प्रबन्धक पी०एन०बी० शाखा धूलकोट धौलपुर

तरतीवी प्रतिवादीगण :-

उपस्थित वादीया के वकील - श्री जे०पी० मित्तल एड०

दावा अन्तर्गत धारा 53 रा०का० अधि०

दावा सं. 109/2011

दिनांक :- 10.06.2016

निर्णय

दावा वादीया दिनांक 01.02.2016 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख०नं० 14/1-19, 28/0-17, 74/0-17, 83/1-09, 86/2-11 स्थित ग्राम धौंसपुर तह० बाडी में मुताबिक राजस्व रिकार्ड हिस्सेनुसार कृषि विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार बाडी को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजी गई। तत्पश्चात पत्रावली कोर्ट कैम्प कंचनपुर में रखी गई। जहां तहसीलदार बाडी द्वारा कुर्रेजात तैयार कर प्रस्तुत किये गये। तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के अनुसार वादीया का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।


अतः दावा वादीया तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादीया व प्रति० के नाम तदनुसूत रिकार्ड पटवार ग्राम धौंसपुर में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।



1. रजनी देवी पत्नी मुन्नालाल जाति बैश्य निवासी गांवडी हाल आबाद बाडी  
 खसरा नं० रकवा किस्म लगान  
 86/1 1-11 बा०सो० 1.55

2. मेवाराम, रामजीलाल, नेकराम, रामचरन पुत्रगण नथुआ जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवडी  
 खसरा नं० रकवा किस्म लगान  
 14 1-19 बा०दो० 2.93  
 28 0-17 बा०प्र० 1.70  
 74 0-17 बा०सो० 0.85  
 83 1-09 बा०सो० 1.45  
 86/2 1-00 बा०सो० 1.00  
 कुल किता 5 कुल रकवा 6-02 7.93

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टिकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। खातेदारान पर यदि रहन हो तो उसके हिस्से में यथावत रखा जावे। निर्णय के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय लिखाया जाकर कोर्ट कैम्प कंचनपुर में सुनाया गया।

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 बाडी